

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./27/2026/ 11379 :: आ दे श ::

दिनांक 16 APR 2026

I

निम्नांकित कर्मचारी के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/ कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	कोमल खिंची, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	पोक्सो न्यायालय संख्या-3, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमाई
1	2	3	4	5
1	श्रीमती हेमलता शर्मा	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर	श्री मनोज कुमार शर्मा के स्थान पर
2	श्री मनोज कुमार शर्मा,	लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	श्रीमती हेमलता शर्मा के स्थान पर

III

निम्नांकित कर्मचारी को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	कोमल खिंची, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज०)

IV

श्री मनोज कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5 अलवर में किये जाने के फलस्वरूप इन्हें आज दिनांक 16.04.2026 को अपराहन में कार्यभार मुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5 अलवर में देवे। श्री शर्मा के अवकाश खाते में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश शेष हैं एवं इनके द्वारा वर्ष 2026 में दिनांक 04.04.2026 व 14.09.2026 के ऐच्छिक अवकाशों का विकल्प प्रस्तुत किया हुआ है।

नोट :-

- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।
- 2- आदेश क्रम-I में अंकित कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम- III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारी को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।
- 3- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2026/ 11380-91

दिनांक :

16 APR 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं. 3, अलवर
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5, अलवर
3. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 5, अलवर
4. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
5. ✓ सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

3m318-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र